न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— **47 / 2020 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री पुखराज रांका निवासी आर0 के0 कॉलोनी आसीन्द तहसील आसीन्द **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी करेडा

——अपीलार्थी ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 15-9-.2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी करेडा के विरूद्ध दिनांक 14.08.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 31 / 2020 निर्णय दिनांक 04.08.2020 अनुसार उपखण्ड अधिकारी करेडा द्वारा मुझ अपीलार्थी को जो सूचना उपलब्ध करायी गयी वह पूर्ण रूपेण अपीलार्थी के आवेदन पत्र अनुसार नही हैं। अतः आवेदन पत्र अनुसार पूर्ण सूचना उपलब्ध करायी जाये।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 04.09.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी करेडा से इस प्रकरण के संबंध में कोई प्रत्युत्तर /रिपोर्ट प्राप्त नही हुआ है।

अतएव अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी करेडा को आदेशित किया जाता हैं कि निर्णय प्राप्ति के 15 दिवस में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अनुसार बिन्दुवाईज सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करावे।

आदेश आज दिनांक 15-9-.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा